निःशुल्क प्रकाशनार्थ

प्रेस–विज्ञप्ति

निदेशालय, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक 767/अ0सं0क0नि0/छा0म0नि0/प्रस्ताव दिनांक 07 जुलाई, 2021 द्वारा जनपद में संचालित अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट इन माइनरिटी इंस्टीटयूशन (I.D.M.I.) योजनान्तर्गत इच्छुक संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त कर एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

इस योजनान्तर्गत वे सभी शिक्षण संस्थायें अर्ह हैं, जो स्वैच्छिक संगठन/समितियाँ/न्यास जिनके द्वारा वे संचालित हैं। केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकृत हो–

1. योजनान्तर्गत वे शिक्षण संस्थायें अर्ह हैं, जो भारत सरकार/राज्य सरकार शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्रप्त हों और तीन वर्ष से अस्तित्व में हो।
2. योजनान्तर्गत वे सभी शिक्षण संस्थायें पात्र होंगी, जो राज्य सरकार या भारत सरकार से अल्पसंख्यक संस्था घोषित हों, अल्पसंख्यक संस्था घोषित संबंधी प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. शिक्षण संस्था का यू–डायस कोड अनिवार्य होगा।
4. इच्छुक शिक्षण संस्था द्वारा भारत सरकार के पत्र दिनांक 13.07.2018 द्वारा निर्धारित प्रारुप पर आवेदन किया जायेगा।
5. भारत सरकार द्वारा अनुमोदित धनराशि का 25 प्रतिशत अल्पसंख्यक संस्थान द्वारा अपने निजी स्रोतों से व्यय किया जायेगा।

अतः जनपद में संचालित समस्त शिक्षण संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि यदि वे उपर्युक्त अर्हता रखते हों, तो **वे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट इन माइनरिटी इंस्टीटयूशन (I.D.M.I.) योजनान्तर्गत दिनांक 17.07.2021 तक किसी भी कार्यदिवस में अपना आवेदन कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर, कक्ष संख्या–9, भूतल, विकास भवन, सिद्धार्थनगर में प्रस्तुत कर सकते हैं।** विस्तृत जानकारी हेतु किसी भी कार्यदिवस में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।

(एजाजुल हक खान)
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,
सिद्धार्थनगर।

कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर

पत्रांक 949 /अ0सं0क0/आई0डी0एम0आई0/2021–22 दिनांक : 12 जुलाई, 2021

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
3. जिला सूचना अधिकारी, सिद्धार्थनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि समस्त हिन्दी/उर्दू समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

9. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सिद्धार्थनगर को इस आशय से कि कृपया संज्ञानित होने का कष्ट करें कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति को विभागीय लागिन से ट्वीट कर दिया गया है।

4. समस्त सम्बन्धित को समाचार–पत्रों के माध्यम से।
5. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,
सिद्धार्थनगर।